न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथ राम (आरटीएस)

मि.न.– 9/18

दिनांक 9.4.18

सरकार बनाम रामकरण वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपसथित।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारिक पुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम द्वारिक पुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 192/0.05,195/0.08है0 किस्म जमीन गै0मु0 श्मशान व गै0मु0चाह पर रामकरण, रामजीलाल , संतलाल, ख्याली, सोहनलाल, श्रीराम पुत्रान पेमाराम जाति अहीर निवासी द्वारिक पुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर उक्त भूमि में से 0. 03पर पशुओं का बाडा व 0.075है पर पक्के मकान ,ईधन ,पशुओं का बाडा बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचना प्रान्त गैर सायलान उपस्थित नही आये । अत गैर सायलान के विरूद एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना उचित है ।

अतःगैरसायलान रामकरण, रामजीलाल , संतलाल, ख्याली, सोहनलाल, श्रीराम पुत्रान पेमाराम जाति अहीर निवासी द्वारिक पुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम द्वारिक पुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 192/0.05,195/0.08है0 में से 0.03पर पशुओं का बाडा व 0.075है किस्म जमीन गै0मु0 श्मशान व गै0मु0चाह पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर बने पक्के मकान को ध्वस्त किया जाकर तथा ,ईधन ,पशुओं का बाडा को हटवाया जाकर बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी का पचास गुणा 0.50 ×50 = 25रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार फसल निलामि, बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमील दाखील दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 9-4-18 को सरे इजलास सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

सं 2018 .. 0..19.......क रा० ले०
पृष्ठ संख्या ..107....पर..25 रू
रुपये कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली